



सिंदूरार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 17-12-2025 जनपद सिंदूरार्थनगर।

◆पुलिस अधीक्षक सिंदूरार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समरच्याएं/ शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 17.12.2025 को पुलिस अधीक्षक सिंदूरार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया गया। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निरस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना कठेला समयमाता साइबर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्राड की सम्पूर्ण धनराशि ₹92000/- जो साइबर फ्रॉड के जरिए खाते से डेबिट हो गया था, वापस करायी गयी। आवेदिका द्वारा साइबर पुलिस टीम को आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण, के आदेश के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व मर्यांक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा अभ्यासिंह थानाध्यक्ष थाना कठेला समयमाता के नेतृत्व में आज दिनांक 17/12/2025 को ग्राम झकहीया अंतर्गत थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर की आवेदिका श्रीमती बिटा देवी पत्नी रामचंद्र निवासी ग्राम झकहीया का ₹92000/- रुपया जो साइबर फ्रॉड के जरिए खाते से डेबिट हो गया था थाना कठेला समय माता की साइबर टीम के द्वारा श्रीमती बिटा देवी उपरोक्त के साइबर फ्राड की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी। आवेदिका द्वारा साइबर पुलिस टीम को आभार व्यक्त किया गया।

थाना कठेला समयमाता साइबर पुलिस टीम का विवरण -

1. उप निरीक्षक आनंद कुमार थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर।
2. महिला का० ज्योति पांडेय थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 17/12/2025 जनपद सिंट्रार्थनगर

◆ थाना मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत सिंट्रार्थ जन शिक्षा सेवा संस्थान मिठौवा में बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया ।

पुलिस अधीक्षक सिंट्रार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 17/12/2025 को अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी इटवा तथा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी थाना मिश्रोलिया के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत सिंट्रार्थ जन शिक्षा सेवा संस्थान मिठौवा में मिशन शक्ति 5.0 के सम्बन्ध में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया व जागरूक किया गया मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर- 112, पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090, वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ,108, एंबुलेंस सेवा ,1930, साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन, 102, स्वारक्ष्य सेवा ,181 वीमेन हेल्पलाइन, 101 अनिनशमन सेवा आदि।

दण्ड से न्याय की ओर व नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूक किया गया तथा निबंध प्रतियोगिता करायी गयी ।

मिशन शक्ति टीम का विवरण-

1-उ०नि० बबुना यादव थाना मिश्रोलिया जनपद सिंट्रार्थनगर।

2-उ० नि० १यामचंद रत्ना थाना मिश्रोलिया जनपद सिंट्रार्थनगर।

3-महिला कांस्टेबल नीलम थाना मिश्रोलिया जनपद सिंट्रार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 17-12-2025 जनपद सिंदूर्धनगर

◆थाना शोहरतगढ़ मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 महिला सशक्तिकरण के क्रम में देव नारायण यादव इंटर कॉलेज बारह झूलनीपुर में बालिकाओं/ महिलाओं को सुरक्षा के बारे में व हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चरणा किया गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिंदूर्धनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिंदूर्धनगर व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17/12/2025 नवीन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ जनपद सिंदूर्धनगर के निर्देशन में थाना क्षेत्र के देव नारायण यादव इंटर कॉलेज बारह झूलनीपुर थाना शोहरतगढ़ में मौजूद रहे बच्चियों को जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे में जानकारी दी गयी । मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई तथा यातायात नियमों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई । जिसमें प्रबंधक आनंद यादव 6393092209 प्राचार्य रवि यादव 7307528940 सहायक अद्यापक मीनू यादव, आशीष यादव समिलित रहे ।

1-उप निरीक्षक राजकुमार यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिंदूर्धनगर ।

2-हे०का० अविनाश सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिंदूर्धनगर ।

3-का० पवन मौर्या थाना शोहरतगढ़ जनपद सिंदूर्धनगर ।

4-म०का० कंचनलता सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिंदूर्धनगर ।

5-म० का० उर्मिला देवी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिंदूर्धनगर ।



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 17.12.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

- ◆ थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा N.C.R.P./समन्वय पोर्टल पर पर भिन्न-भिन्न राज्य से की गयी शिकायतों से संबन्धित कुल ₹1,07,03,720/- (एक करोड़ सात लाख तीन हजार सात सौ बीस रुपये) साइबर फ्राड करने वाले 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
- ◆ गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से फ्राड किये गये पैसों से खरीदा गया 07 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद मारुति स्वीफ्ट कार, ₹98,200/- नकद बरामद किया गया।

जून 2024 में एनसीआरपी/समन्वय पोर्टल पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भिन्न-भिन्न राज्यों से कुल 35 साइबर फ्रॉड के संबन्ध में शिकायत दर्ज हुई थी जिसकी जांच प्रभारी निरीक्षक कपिलवस्तु द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि साइबर अपराध/म्यूल खाता संख्या 00000040548214309 में कुल ₹1,07,03,720/- (एक करोड़ सात लाख तीन हजार सात सौ बीस रुपये) आनलाइन फाइनेंशियल फ्राड का पैसा मगाया जा रहा था एवं इसका उपयोग अपने निजी खर्चों में किया जा रहा था।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में तथा विश्वजीत सौरयान(IPS) क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में सन्तोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना कपिलवस्तु टीम के नेतृत्व में उपरोक्त घटना के संबन्ध में आज दिनांक 17.12.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 419, 420, 34 भादवि० व 66(D) आईटी एक्ट पंजीकृत कर 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार/बरामदगी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शहजाद खान पुत्र अब्दुल कलीम निवासी कस्बा अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
2. आशीष कुमार मिश्रा उर्फ अन्नू मिश्रा पुत्र दिवाकर मिश्रा मूल निवासी ग्राम बरकुल थाना चाकर चौड़ा जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल वर्तमान पता अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु।
3. परवेज पुत्र अब्दुल गफकार मूल निवासी ग्राम भैंस कुंडा थाना पकड़ी जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल वर्तमान पता अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
4. अब्दुल अहद पुत्र हामीद हुसैन निवासी बेलौहा बाजार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर वर्तमान पता ग्राम सरदार नगर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
5. मोहम्मद वसीम पुत्र अब्दुल समद निवासी अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

- 1.07 अदद मोबाइल फोन
- 2.01 अदद मोटरसाइकिल
- 3.01 अदद मारुति स्वीफ्ट कार
- 4.₹98,200/- नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार तिवारी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.उ0नि0 अखिलेश कुमार मिश्र, सदरूल आलमीन थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.आरक्षी आलोक यादव, राहुल कुमार थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5.म0आ0 सुषमा वर्मा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0/ “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान 2.0 ” के तहत थानाक्षेत्र कठेला समय माता के राजमणि इंटर कॉलेज में छात्र/छात्राओं को “जन चौपाल” लगाकर जागरूक किया गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 17.12.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0/ “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान 2.0 ” के तहत थानाक्षेत्र कठेला समय माता के राजमणि इंटर कॉलेज में छात्र/छात्राओं को “जन चौपाल” लगाकर जागरूक किया गया । नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत बालिकाओं/महिलाओं को उनकी सुरक्षा से संबंधित एकत्रित महिलाओं की सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर देश के सामने एक नयी मिशाल बनाकर पेश करने हेतु जागरूक किया गया जिसमें लगभग 80 छात्र/छात्राएं तथा अध्यापकगण और प्रधानाध्यापक की उपस्थित रहीं जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे आत्म विश्वास को मजबूत करते हैं तथा हमें अपने जीवन में मजबूती के साथ सशक्त एवं निडर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं । सार्वजनिक स्थलों जैसे चौराहो/बाजारो/कोचिंग संस्थान व को असमाजिक तत्वों व शोहदों/मनचलों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी/अभ्रदता/अक्षील प्रदर्शन व टिप्पणिओं कि घटना से बचने हेतु सभी को शासन द्वारा जारी महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन जैसे 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन/ यू०पी० ११२ पुलिस सहायता हेल्पलाइन/ १०७६ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/ १०९८ वाइल्ड केयर हेल्पलाइन/ १०८ एम्बुलेंस हेल्पलाइन /१०२ एम्बुलेंस सेवा (गर्भवती महिलाओं के लिए)/ १०१ अग्निशमन हेल्पलाइन/ १९३० साइबर हेल्पलाइन/ १४५६७ एल्डर हेल्पलाइन से सम्बन्धित सेवाओं व बृहद स्तर पर चलाये जा रहा “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान 2.0 ” सम्बन्धी अभियान के तहत शून्य एफआईआर’ (Zero FIR) की अवधारणा, E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्राविधान, नये अपराध, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्राविधान तथा पीड़ित-केंद्रित प्राविधानों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया ।

इस दौरान अभय सिंह थानाध्यक्ष कठेला समयमाता, मु०आ० कमलेश यादव, महिला आरक्षी ज्योति पांडे, कांस्टेबल सुरेश सिंह, कांस्टेबल छेदी चौरसिया, कांस्टेबल दिलीप वर्मा, आदि अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

- ◆ क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा थाना खेसरहा का किया गया अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी ।
- ◆ सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

रोहिनी यादव, क्षेत्राधिकारी सर्किल बांसी द्वारा आज दिनांक 17-12-2025 को थाना खेसरहा पर अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक / विवेचकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये । तत्पश्चात विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर निर्देश दिया गया । उक्त गोष्ठी के दौरान अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष खेसरहा सहित थाना खेसरहा के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

◆ थाना खेसरहा साइबर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्राड की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 4,999/- वापस करायी गयी। आवेदक द्वारा साइबर पुलिस टीम को आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण के आदेश के क्रम में, डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में साइबर जागरूकता के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सुश्री रोहिणी यादव क्षेत्राधिकारी बांसी व थानाध्यक्ष अनूप मिश्र थानाध्यक्ष खेसरहा के नेतृत्व में थाना खेसरहा साइबर पुलिस टीम द्वारा शिकायतकर्ता श्री सुशील कुमार शुक्ला निवासी ग्राम भूपतजोत अंतर्गत थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर का 4,999/- रुपया जो साइबर फ्रॉड के जरिए खाते से डेबिट हो गया था आज दिनांक 17/12/2025 को थाना खेसरहा साइबर पुलिस टीम के द्वारा पैसे वापस कराए गए।

साइबर टीम का विवरण -

01. उप निरीक्षक रवि प्रताप सिंह सेंगर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
02. महिला कां०० रम्भा यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

◆ सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.12.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र सिद्धार्थनगर में तेतरी बाजार, पुरानी नौगढ़, बेलसड़ढ, रघुवर प्रसाद इंटर कालेज, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की समस्या को सुना गया और निस्तारण किया गया।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01-म.उ.नि.शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर
02. महिला आरक्षी मधु एंटी रोमियो स्क्वाड
03. महिला मुख्य आरक्षी सुनीता यादव एंटी रोमियो स्क्वायड

- ◆ थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- ◆ विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

उ0 0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशांत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 252/25 धारा 326(G),115(2),352,351(3) BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फैजल खान पुत्र परवेज खान ग्राम महदेवा बाजार थाना व जिला सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 17.12.2025 को जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.फैजल खान पुत्र परवेज खान ग्राम महदेवा बाजार थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 रमेश कुमार यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.का0 सूरज गुप्ता थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.का0 अर्जुन यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆ “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹ 75,000/- के अर्थदण्ड तथा अपहरण के 01 आरोपी को 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹ 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 को वाद सं0-08/2016 मु0आ0सं0-874/2015 धारा-363,366,376,120बी,212 भादवि व 3/4 पॉक्सो एकट थाना बांसी में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पें पॉक्सो एकट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- फणीन्द्र मणि ओझा उर्फ डब्लू ओझा पुत्र अरुण कुमार ओझा निवासी भैसठ थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पॉक्सो एकट मे 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹ 75,000/- के अर्थदण्ड तथा 2-अभियुक्त अजय कुमार गिरि उर्फ रिंकू गिरि पुत्र हरीराम गिरि निवासी मिठवल थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 363,366 भादवि मे 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹ 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी नसीम अहमद थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा ।

यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया पर तीन सवारी/बिना हेलमेट गलत दिशा मे वाहन चलाना, सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

आज दिनांक 17.12.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डा० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा अभियान चलाकर डिड्डी, बाँसी, सनई चौराहा, साड़ी तिराहा, पावर हॉउस तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा आदि स्थानों पर कुहरो से बचाव हेतु रिफ्लेक्टर टेप लगाने के साथ-साथ पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक करने के साथ ही नौगढ़-बाँसी राष्ट्रीय राजमार्ग जोगिया मे राजमार्ग पर बिल्डिंग मटेरियल बनाया जा रहा था जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना थी उनको हटवाने के साथ-साथ अन्य स्थानों पर दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार पहिया वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो चेकिंग अभियान चलाते हुए कुल 55 वाहनों का चालान करते हुए 71500/- रुपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

◆ रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा विभिन्न तकनीकि का प्रयोग करके साइबर अपराध से निपटने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा।

आज दिनांक 17.12.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन के मौजूदगी में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा साइबर अपराध व विभिन्न तकनीकि का प्रयोग करके साइबर अपराध से निपटने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में साइबर अपराधों के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड, और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों की जाँच और रोकथाम के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी और कौशल प्रदान किया गया। इस दौरान विभिन्न कर्मियों द्वारा साइबर अपराध के सम्बन्ध में विभिन्न बिन्दुओं पर तैयार किये गये प्रजेंटेशन का प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आधुनिक तकनीक से लैस करना है, जिससे वे अपराध नियंत्रण और जाँच में और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। उक्त कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, साइबर सेल, जनपद के थानो/शाखाओं में नियुक्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 17 -12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना पथरा बाजार तथा थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद में सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आज दिनांक 17.12.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाना पथरा बाजार तथा थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा चिह्नित हॉट स्पॉट (बाजार, रेलवे स्टेशन) पर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त / चेकिंग कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।